भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 274
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

महिला अधिवक्ताओं को कक्ष आवंटन में छूट

274. श्री ए. विजयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वकालत करने वाली महिला अधिवक्ताओं को कक्ष आवंटन के लिए विशेष छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो महिला अधिवक्ताओं को भारतीय न्यायालयों में वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सूचित किए गए कक्ष आवंटन का मुद्दा/अधिकार क्षेत्र संबंधित बार संगठनों और न्यायालय प्रशासन से संबंधित है और आज की तारीख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कक्षों को अधिवक्ता के रूप में नामांकन होने के पश्चात संबंधित बार संगठन का सदस्य होने पर आनुक्रमिक क्रम के आधार पर आवंटित किया जाता है। इस प्रकार से पुरुष और महिला अधिवक्ताओं के बीच कक्ष के आवंटन में कोई अन्तर नहीं है। तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कक्ष आवंटन का अधिकार-क्षेत्र जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, संबंधित प्राधिकारियों के पास है और अपने विवेक से, यदि वे अधिवक्ताओं से किसी श्रेणी के लिए कक्ष के आवंटन को ठीक समझते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। यहां पर यह भी उल्लिखित करना प्रासंगिक हैं कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 महिला अधिवक्ताओं और पुरुष अधिवक्ताओं में अंतर नहीं करता है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अनुसार अधिवक्ताओं के वर्ग केवल "ज्येष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता" हैं।

(ग) : इसके अतिरिक्त, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि वे पहले ही सभी राज्य विधिज्ञ परिषद के महिला सदस्यों को अनुशासनात्मक और अन्य समितियों के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए लिखा है।

****